

कार्यालय : सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर (नैनीताल)।

पत्रांक : उ0वि0शि0प0 / डी0एल0एड0 / निविदा संख्या-004 / 461 / 2026-27 दिनांक 23 अक्टूबर, 2026

### ई-निविदा

**बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण (डिजिटल फिंगरप्रिंट एवं चेहरे की पहचान अथवा पामवेन रिकग्निशन एवं चेहरे की पहचान) के माध्यम से प्रतिरूपण/छद्म अभ्यर्थी पर नियंत्रण एवं उपस्थिति दर्ज कराने की सेवा**

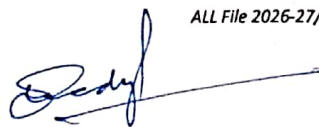
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर (नैनीताल) द्वारा दिनांक 18 नवम्बर 2026 को आयोजित होने वाली प्रारम्भिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (D.El.Ed.) प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा 2026 एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अभ्यर्थियों की पहचान सत्यापित करने तथा परीक्षा केन्द्रों में बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण (डिजिटल फिंगरप्रिंट एवं चेहरे की पहचान अथवा पामवेन रिकग्निशन एवं चेहरे की पहचान) के माध्यम से प्रतिरूपण/छद्म अभ्यर्थी पर नियंत्रण एवं उपस्थिति दर्ज कराने की सेवा प्रदान कराये जाने हेतु समस्त सुविधाओं से युक्त इस क्षेत्र में कार्य करने वाली अत्यन्त उच्च तकनीकी क्षमता एवं दक्षता वाले पात्र एवं अनुभवी सेवा प्रदाताओं से ऑनलाइन तकनीकी एवं वित्तीय ई-निविदायें उत्तराखण्ड की वेबसाइट [www.uktenders.gov.in](http://www.uktenders.gov.in) पर आमंत्रित की जाती हैं। निविदादाता सेवा प्रदाताको किसी भी राज्य स्तरीय अथवा राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार के कार्य करने का कम से कम 3 वर्षों का अनुभव होना आवश्यक है।

चयनित सेवा प्रदाता को सभी निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर अभ्यर्थियों की पहचान सत्यापित करने हेतु डिजिटल फिंगरप्रिंट एवं चेहरे की पहचान अथवा पामवेन रिकग्निशन एवं फेस रिकग्निशन आधारित बायोमैट्रिक सत्यापन की व्यवस्था करनी होगी। उपस्थिति से सम्बन्धित समस्त डेटा परिषद् को सुरक्षित रूप से उपलब्ध कराया जायेगा। समुचित हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर, तकनीकी कार्मिक, परिवहन, स्थापना, तकनीकी सहायता, डेटा हस्तांतरण और रिपोर्टिंग का समस्त दायित्व चयनित सेवा प्रदाता का होगा।

यह कार्य एक निर्धारित समय सारिणी के अनुसार सम्पादित किया जायेगा। निविदादाता की ओर से किसी भी आकस्मिकता/असफलता की स्थिति में भी इस कार्य को निर्धारित समय सारिणी के अन्तर्गत ही सम्पन्न करना होगा। अतः ऐसी सक्षम फर्में ही निविदा में प्रतिभाग करें जो निविदा की शर्तों का पूर्णतया पालन करते हुये किसी भी प्रकार की आकस्मिकताओं की स्थिति में भी परिषद् द्वारा अनुदानित कार्यों को निर्धारित समय सारिणी के अन्तर्गत सफलतापूर्वक सम्पादित करने में सक्षम हों।

ई-निविदा की वेबसाइट [www.uktenders.gov.in](http://www.uktenders.gov.in) पर पर निविदा की तकनीकी सूचना एवं वित्तीय सूचना निम्नानुसार दो भागों में अपडेट की जायेंगी :-

(क). प्रथम भाग- तकनीकी सूचना एवं अन्य सामान्य सूचना (Technical Bid) : इसके अन्तर्गत सेवा प्रदाताओं को निविदा के अन्तिम पृष्ठ पर अंकित समस्त 18 प्रकार की तकनीकी सूचनायें, उपलब्ध हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर एवं जनशक्ति आदि के साथ ऑनलाइन प्रविधि से कार्य करने हेतु आवश्यक समस्त तकनीकी सूचनायें, सेवा प्रदाता के पास उपलब्ध सम्बन्धित हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर एवं जनशक्ति, आदि विविध विषयों से सम्बन्धित सूचनायें देनी होंगी एवं उनसे सम्बन्धित आवश्यक प्रपत्र तथा रुपये 60,000.00 की अर्नेस्टमनी की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट तथा निविदा प्रपत्र हेतु रु0 1770.00 मूल्य के बैंक ड्राफ्ट जो सचिव,



उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर (नैनीताल) के नाम देय होगा, की स्वहस्ताक्षरित स्कैन कापी अपलोड करना होगा। निविदा प्रपत्र के मूल्य की धनराशि वापस नहीं की जायेगी।

(ख). **द्वितीय भाग— वित्तीय सूचना (Financial Bid)** : इसके अन्तर्गत सेवा प्रदाता को उपर्युक्त कार्यों हेतु निविदा में निर्धारित किये गये प्रारूप पर कार्य सम्पादित करने की प्रति—परीक्षार्थी दर अंकित करनी होगी।

निविदा के तकनीकी एवं वित्तीय सूचनाओं से सम्बन्धित समस्त प्रपत्रों की गोपनीयता बनाये रखते हुए निविदादाता सेवा प्रदाताओं द्वारा उन्हें दिनांक 05 नवम्बर, 2026 के अपराह्न 12:15 से पूर्व तक ई-निविदा की वेबसाइट [www.uktenders.gov.in](http://www.uktenders.gov.in) पर अपलोड कर देना होगा।

ई-निविदा के अन्तर्गत अपलोड हुए दस्तावेजों को विभाग द्वारा डाउनलोड करके कार्यवाही की जाती है। अतः निविदादाताओं से अपेक्षा है कि मांगी गयी सभी सूचनाओं को कम से कम पेज में क्रमानुसार उन पर क्रम संख्या एवं हस्ताक्षर तथा मोहर अंकित करके ही अपलोड करें। मांगे गये दस्तावेजों के अतिरिक्त और कोई भी अनावश्यक दस्तावेज अपलोड न करें। उक्त तकनीकी एवं वित्तीय सूचनाओं की हार्डकापी के अलग-अलग सील बन्द लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में रख कर उस पर मोटे अक्षरों में निविदा संख्या : 004 अंकित कर सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर नैनीताल को दिनांक 05 नवम्बर, 2026 को अपराह्न 01:00 तक प्राप्त कराना अनिवार्य होगा। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। तकनीकी सूचनाओं के साथ निविदा प्रपत्र का मूल्य तथा अर्नेष्टमनी (ड्राफ्ट एवं एफ0डी0आर0) को मूल रूप में रखना अनिवार्य होगा। बिना निविदा प्रपत्र का मूल्य तथा अर्नेष्टमनी के निविदा स्वीकार नहीं होगी।

जो भी सेवा प्रदाता ई-निविदा की वेबसाइट [www.uktenders.gov.in](http://www.uktenders.gov.in) पर अपनी निविदा अपलोड नहीं करेगी, उसकी हार्डकापी पर प्रस्तुत निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी। इसी प्रकार जो सेवा प्रदातानिर्धारित समयान्तर्गत निविदा की हार्ड कॉपी उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर नैनीताल में जमा नहीं करेगी उसकी वेबसाइट पर अपलोड निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी और इस संबंध में ऐसी सेवा प्रदाताओं के प्रत्यावेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा। सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् द्वारा लिया गया निर्णय सभी निविदादाताओं को स्वीकार होगा।

उक्त निविदा की तकनीकी सूचनाओं को निविदादाताओं के प्रतिनिधियों के समक्ष वेबसाइट से उसी दिनांक 05 नवम्बर, 2026 को अपराह्न 01:15 बजे उपस्थित निविदादाताओं के प्रतिनिधियों के समक्ष डाउनलोड किया जायेगा तथा उसकी तुलनात्मक तालिका तैयार कराई जायेगी। निविदा समिति द्वारा निविदादाताओं की इन तकनीकी सूचनाओं का परीक्षण करने के उपरान्त निविदा की शर्तों के अनुरूप तकनीकी रूप से कार्यानुसार अर्ह पाये गये सेवा प्रदाताओं को सूचित करते हुए उनकी वित्तीय सूचनाओं के विवरणों को उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष डाउनलोड किया जायेगा तथा उसकी तुलनात्मक तालिका तैयार कर दर निर्धारण की कार्यवाही की जायेगी।



### (क). निविदा की प्रमुख शर्तें

1. निविदादाता सेवा प्रदाता को किसी भी राज्य अथवा राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं में बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण (डिजिटल फिंगरप्रिंट एवं चेहरे की पहचान अथवा पामवेन रिकग्निशन एवं चेहरे की पहचान) के माध्यम से प्रतिरूपण/छद्म अभ्यर्थी पर नियंत्रण एवं उपस्थिति दर्ज कराने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है।
2. उत्तराखण्ड प्रदेश की सीमा के अन्तर्गत स्थित सेवा प्रदाताओं की निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। सेवा प्रदाताओं को पते के प्रमाण स्वरूप विद्युत देयक अथवा Rent Agreement (किरायानामा) प्रस्तुत करना होगा।
3. इस कार्य के सम्पादन हेतु निविदादाता सेवा प्रदाता को M.S.M.E./N.S.I.C./S.S.I./D.I.C. से पंजीकृत होना अनिवार्य है। निविदादाता सेवा प्रदाताके पास अधिकृत प्रमाणीकरण संस्था (Certifying Authorities) द्वारा निर्गत डी0एस0सी0 (Digital Signature Certificate) होना अनिवार्य होगा।
4. सेवा प्रदाता के पास न्यूनतम 500 तक प्रशिक्षित एवं नियमित कार्मिक कार्यरत होने अनिवार्य है तथा उनका नियमित रूप से वेतन भुगतान एवं ई0पी0एफ0 जमा कराया जाता हो।
5. सेवा प्रदाता को E.S.I.C. (Employee State Insurance Corporation)/P.F. (Provident Fund) से पंजीकृत होना आवश्यक है।
6. सेवा प्रदाता को निविदा के अंत में उल्लिखित समस्त प्रपत्रों को अपलोड करना अनिवार्य होगा।
7. प्रतियोगी परीक्षाओं में परीक्षार्थियों के बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण (डिजिटल फिंगरप्रिंट एवं चेहरे की पहचान अथवा पामवेन रिकग्निशन एवं चेहरे की पहचान) के माध्यम से प्रतिरूपण/छद्म अभ्यर्थी पर नियंत्रण एवं उपस्थिति दर्ज कराने हेतु निविदादाता का विगत तीन वित्तीय वर्षों 2023-24, 2024-25 तथा 2025-26 अथवा 2022-23, 2023-24 तथा 2024-25 का औसत वार्षिक टर्न ओवर कम से कम रुपये दो करोड़ का होना चाहिये।
8. इस कार्य/प्रक्रिया के संबंध में परिषद् द्वारा अधिकृत अन्य एजेन्सियों से प्राप्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन भी सेवा प्रदाता को करना होगा।
9. निविदा की समस्त शर्तों को पूर्ण करने वाली एम0एस0एम0ई0/आई0एस0ओ0 में पंजीकृत सेवा प्रदाताओं को कार्यावंटन में वरीयता दी जायेगी।
10. ऑनलाइन आवेदन द्वारा संग्रह किये गये डेटा में छात्र-छात्राओं की निजी जानकारीयां भी सम्मिलित हैं। अतः इन सभी जानकारीयों को सुरक्षित रखने का सम्पूर्ण उत्तरदारयित्व सेवा प्रदाता का होगा। किसी भी स्थिति में इसे किसी भी रूप में परिषद् के अतिरिक्त किसी अन्य को उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। इसका उल्लंघन करने पर सेवा प्रदाता को ब्लैक लिस्टेड करने के साथ ही उसके विरुद्ध अन्य विधिक कार्यवाही की जाएगी।
11. अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के नाम पर पावर ऑफ अटॉर्नी/बोर्ड संकल्प की प्रति होना अनिवार्य होगा।



12. निविदादाता सेवा प्रदाता एक प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए, जो भारत सरकार के भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 या 2013 के तहत पंजीकृत हो और बोली की तारीख तक पिछले 5 वर्षों से भारत में अस्तित्व में हो।
13. वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पंजीकरण प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
14. निविदादाता के नाम का स्थायी खाता संख्या (पैन कार्ड) होना अनिवार्य है।
15. निविदादाता द्वारा पिछले 3 वित्तीय वर्षों यानी वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25, और 2025-26 अथवा 2022-23, 2023-24, और 2024-25 के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) द्वारा प्रमाणित लेखा परीक्षित बैलेंस शीट, लाभ-हानि विवरण और वैध यूडीआईएन नंबर वाले टर्न ओवर प्रमाणपत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
16. निविदादाता के पास निविदा प्रकाशन की तिथि से पहले जारी किए गए निम्नलिखित पत्र होने चाहिए— A-(ISO 9001 और ISO 27001:2013 प्रमाणन होना चाहिए) B- सीएमएमआई लेवल 5 (जिसे सीएमएमआई वेबसाइट <https://cmmiinstitute.com/pars> पर सत्यापित किया जा सकता है)।
17. निविदादाता निविदा प्रकाशन की तिथि तक किसी सरकारी विभाग की परीक्षा-आधारित परियोजनाओं में प्रतिरूपण नियंत्रण एवं बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और सत्यापन प्रदान करने में कम से कम तीन वर्षों का कार्य अनुभव होना चाहिए।
18. किसी सरकारी विभाग में एक ही पाली में कम से कम 1,00,000 (एक लाख) अभ्यर्थियों के लिए प्रतिरूपण नियंत्रण एवं प्रमाणीकरण का कम से कम एक कार्यादेश पूरा किया हो।
19. कम से कम 2,500 पोर्टेबल, एकीकृत डिजिटल फिंगरप्रिंट/पामवेन स्कैनर उपलब्ध हों।
20. परीक्षा की संवेदनशील डेटा के भंडारण के लिए भारत के दो अलग-अलग भूकंपीय क्षेत्रों में अपना या किराए का टीयर-3 डेटा सेंटर और आपदा पुनर्प्राप्ति केन्द्र हो।
21. निविदा प्रकाशन की तिथि तक निविदादाता सेवा प्रदाता को किसी भी सरकारी संगठन/बोर्ड/परिषद्/विश्वविद्यालय/आयोग या किसी अन्य सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सरकारी उपक्रम द्वारा कभी भी ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया होना चाहिए। इस सम्बन्ध में एक शपथ पत्र 100 रुपये के नोटरी पर प्रस्तुत किया जाना होगा।
22. अभ्यर्थियों के डेटा को कैप्चर और प्रमाणित करने के लिए प्रदान किया गया बायोमेट्रिक एप्लिकेशन एसटीक्यूसी प्रमाणित होना चाहिए। एप्लिकेशन के स्वामित्व का प्रमाण या एप्लिकेशन प्रदाता से निविदा सम्बन्धी विशिष्ट प्राधिकरण के साथ-साथ एप्लिकेशन के लिए वैध एसटीक्यूसी परीक्षण रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जानी होगी।

### (ख). कार्य की परिधि

1. उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल प्रदेश के 29 शहरों में पंजीकृत सभी अभ्यर्थियों का केंद्रवार डेटा-रोल नंबर, फोटो, नाम, परीक्षा तिथि/पाली आदि, निर्धारित परीक्षा तिथि से कम-से-कम 10 दिन पहले चयनित बोलीदाता को देगा। बोलीदाता प्रत्येक केंद्र और पाली के अनुसार यह डेटा अपने क्लाउड पर अपलोड करेगा। परीक्षा कक्ष में प्रवेश-पत्र के रोल नंबर के आधार पर डिजिटल फिंगरप्रिंट एवं चेहरे की पहचान अथवा पामवेन रिकग्निशन एवं चेहरे की पहचान करने तथा परीक्षा प्रक्रिया के बाद के चरणों में बोर्ड द्वारा निर्धारित स्थान पर अभ्यर्थियों का सत्यापन करने के लिए यह डेटा उपयोग होगा।
2. उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल द्वारा उक्त दोनों प्रकार के बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण में से परीक्षा में किसी एक प्रविधि को प्रयोग किया जाएगा। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के चयन का अधिकार परिषद् के पास सुरक्षित रहेगा।




3. चयनित बोलीदाता को प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर QR कोड स्कैनर से एकीकृत हैंड-हेल्ड उपकरण और आवश्यक मानव संसाधन तैनात करना होगा, ताकि बायोमेट्रिक डेटा संग्रहण किया जा सके।
4. अभ्यर्थी के प्रवेश-पत्र पर अंकित रोल नंबर वाले QR कोड को स्कैन/रीड करके उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल द्वारा दिए गए एप्लिकेशन डेटाबेस से अभ्यर्थी का विवरण स्वतः प्राप्त किया जाएगा। यदि प्रवेश-पत्र पर QR कोड न हो, तो रोल नंबर और अभ्यर्थी की जानकारी मैनुअल रूप से दर्ज करनी होगी। इसके बाद हैंड-हेल्ड उपकरण से फिंगरप्रिंट/पामवेन स्कैनिंग और फोटो लिए जाएंगे। यह कार्य प्रत्येक पाली में परीक्षा कक्ष के प्रवेश द्वार पर किया जाएगा और परीक्षा शुरू होने से पहले पूरा होना चाहिए।
5. समाधान में सुरक्षित केंद्रीय वेब सर्वर के माध्यम से वास्तविक समय में उपस्थिति की निगरानी की सुविधा होनी चाहिए।
6. चयनित बोलीदाता को संपूर्ण डेटाबेस और एप्लिकेशन सर्वर भारत के भीतर दो अलग-अलग भूकम्पीय क्षेत्रों में रखने होंगे। एक स्थान डेटा सेंटर (DC) और दूसरा आपदा पुनर्प्राप्ति केंद्र (DR) होगा।
7. प्रणाली में प्रत्येक पंजीकरण गतिविधि की समय-मुद्रा (टाइमस्टैम्प) सहित वास्तविक समय निगरानी की सुविधा होनी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पंजीकरण निर्धारित पाली के दौरान ही हुआ है।
8. पंजीकरण रिकॉर्ड की पुनरावृत्ति रोकने के लिए बोलीदाता को डेटाबेस में डुप्लीकेट रिकॉर्ड पहचानने/हटाने का एल्गोरिदम लागू करना होगा।
9. चेहरे की पहचान दो छवियों के बीच, बिना स्थायी सत्र-स्थिति के, की जानी होगी—एक छवि ऑनलाइन पंजीकरण के समय की उपलब्ध कराई गई होगी और दूसरी परीक्षा के दिन ली जाएगी।
10. किसी भी कारण से बायोमेट्रिक गतिविधि रोकी नहीं जाएगी। डेटा संग्रहण और पहचान का कार्य परीक्षा के निर्धारित समय के भीतर पूरा करना अनिवार्य होगा।
11. कार्य पूरा होने पर सेवा प्रदाता द्वारा संग्रहित किया गया पूरा डेटा USB पेन ड्राइव/SSD में सीलबंद रूप में, परीक्षा का नाम लिखकर, रिपोर्ट और सेवा प्रदाता के हस्ताक्षरयुक्त अग्रेषण-पत्र सहित उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल को सौंपेगा।
12. चयनित सेवा प्रदाता किसी भी डेटा को हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी में अपने साथ नहीं ले जा सकेगा। कार्य निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर ही किया जाएगा।
13. उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल द्वारा निर्धारित परीक्षा/काउंसिलिंग/अभिलेख सत्यापन प्रक्रिया के समय चयनित सेवा प्रदाता को परीक्षा के दौरान लिए गए डेटा के आधार पर अभ्यर्थियों की पहचान सत्यापित करनी होगी। यह प्रक्रिया परिषद् कार्यालय या परिषद् द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य स्थान पर संपादित करनी होगी।
14. उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल द्वारा निर्धारित विभिन्न परीक्षा चरणों में प्रत्येक 100 अभ्यर्थियों पर प्रति तैनात कर्मचारी कम-से-कम एक हैंड-हेल्ड डिजिटल फिंगरप्रिंट एवं चेहरे की पहचान अथवा पामवेन रिकग्निशन एवं चेहरे की पहचान उपकरण उपलब्ध कराना होगा। आपात स्थिति में सामान्य प्रथा के अनुसार अतिरिक्त उपकरण भी उपलब्ध रखने होंगे।



15. चयनित सेवा प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि सभी उपकरण कार्यशील हों और प्रत्येक केंद्र पर परीक्षा में शामिल हर अभ्यर्थी के डिजिटल फिंगरप्रिंट एवं चेहरे की पहचान अथवा पामवेन रिकग्निशन एवं चेहरे की पहचान किए गए हों।
16. यदि किसी केंद्र पर एक दिन में एक से अधिक पालियों में परीक्षा होती है, तो प्रत्येक पाली में अलग-अलग यह गतिविधि करनी होगी।
17. कार्य पूरा होने के बाद सेवा प्रदाता को केंद्रवार स्व-प्रमाणित कार्य-समापन प्रमाणपत्र उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल को देना होगा।
18. आवंटित कार्य हेतु केवल STQC-अनुमोदित हैंड-हेल्ड स्कैनर से एकीकृत हैंड-हेल्ड उपकरण का उपयोग किया जाना होगा।
19. सेवा प्रदाता को वे अन्य समस्त व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित करनी होंगी जो वर्णित कार्य को करने हेतु आवश्यक हों, भले ही उनकी अंकना निविदा प्रपत्र में न हो पायी हो।
20. ऑनलाइन आवेदन द्वारा संग्रह किये गये डेटा में छात्र-छात्राओं की निजी जानकारियां भी सम्मिलित हैं। अतः इन सभी जानकारियों को सुरक्षित रखने कर पूर्ण दायित्व सेवा प्रदाता का होगा। किसी भी स्थिति में इसे किसी भी रूप में परिषद् के अतिरिक्त किसी अन्य को उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। इस डेटा का दुरुपयोग डी0पी0डी0पी0 एक्ट 2023 (DIGITAL PERSONAL DATA PROTECTION ACT 2023) के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सेवा प्रदाता का होगा।
21. कार्य पूर्ण होने के उपरांत सेवा प्रदाता द्वारा छात्रों का समस्त डेटा अनिवार्य रूप से परिषद् को उपलब्ध/हस्तगत कराना होगा और इस आशय का प्रमाण-पत्र भी उपलब्ध कराना होगा कि अब उसके पास किसी भी रूप (हार्ड अथवा साफ्ट) में कोई डेटा/जानकारी शेष नहीं है।
22. उक्त कार्यों हेतु विकसित की गयी वेबसाइट सहित सम्पूर्ण सिस्टम फ्लोचार्ट, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर एवं सम्बन्धित अन्य सॉफ्ट/हार्ड अभिलेख परिषद् की सम्पत्ति होंगी तथा कार्य पूर्ण होने के उपरांत सेवा प्रदाता द्वारा इन्हें अनिवार्य रूप से परिषद् को उपलब्ध/हस्तगत कराना होगा।

#### (ग). निविदा की अन्य शर्तें

1. कोई भी ऐसी सेवा प्रदाता कम्पनी ई-निविदा प्रस्तुत न करें जिसके पास राज्य अथवा राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं में बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण (डिजिटल फिंगरप्रिंट एवं चेहरे की पहचान अथवा पामवेन रिकग्निशन एवं चेहरे की पहचान) के माध्यम से प्रतिरूपण/छद्म अभ्यर्थी पर नियंत्रण एवं उपस्थिति दर्ज कराने के सम्पादनार्थ आवश्यक निर्धारित क्षमता के हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर तथा स्वयं की बैकअप सुविधा न हों।
2. निविदा प्रपत्र में उल्लेखित समस्त हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर निविदादाता सेवा प्रदाता के नाम से ही क्रय किये होने चाहिये।
3. कार्य सम्पादन की अवधि में किसी भी समय यदि परिषद् सचिव यह अनुभव करते हैं कि किसी सेवा प्रदाता के कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं है, या कार्य कुशलता यथेष्ट नहीं है तो वह सेवा प्रदाता से कार्य वापस ले सकते हैं तथा एक सप्ताह का लिखित नोटिस देकर इस कार्य को किसी



अन्य सेवा प्रदाता को दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में परिषद् को हुई किसी भी प्रकार की क्षति की पूर्ति संबंधित सेवा प्रदाता को करनी होगी।

यहाँ यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि परिषद् के जो भी कार्य निविदा द्वारा सेवा प्रदाताओं से कराये जाते हैं, वे अत्यन्त संवेदनशील प्रकृति के होते हैं। इन कार्यों में किसी भी प्रकार की छोटी से छोटी त्रुटि होने पर भी उससे परिषद् की छवि पर बहुत ही गंभीर एवं प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः सेवा प्रदाताओं द्वारा की जाने वाली त्रुटियों की गम्भीरता को देखते हुए दण्ड स्वरूप सेवा प्रदाता को उसके समस्त भुगतानों से वंचित करते हुए उसे भविष्य में कभी भी किसी भी प्रकार का कार्य अनुदानित न करने की कार्यवाही करते हुए उसे सदैव के लिये ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है।

4. सेवा प्रदाता/ठेकेदार आउटपुट रिपोर्ट में किसी प्रकार की भूलचूक, अपूर्णता अथवा त्रुटि के कारण हुई हानि के प्रति राज्यपाल तथा परिषद् को पूर्णतया क्षतिपूर्ति करेगा।
5. किसी अन्य उपाय के प्रति बिना किसी पक्षपात के उत्तराखण्ड शासन के शिक्षा विभाग के सचिव द्वारा सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर (नैनीताल) के निर्णय के प्रति अंतिम रूप से लिया गया निर्णय सेवा प्रदाता को स्वीकार होगा। राज्यपाल महोदय सेवा प्रदाता/ठेकेदार से राजस्व के अवशेष सम्बन्धित सभी देय धनराशि की वसूली कर सकते हैं।
6. एक ही ओनर वाली अथवा एक ही कामन सदस्य वाली सेवा प्रदाताओं की यदि कई निविदायें प्राप्त होती हैं तो उनमें से केवल एक ही सेवा प्रदाता की निविदा पर विचार किया जायेगा।
7. निविदा में उल्लिखित कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं गोपनीय प्रकृति के हैं अस्तु इसको दृष्टिगत रखते हुए कार्यावंटन के लिये सचिव उ0वि0शि0प0 का सर्वाधिकार सुरक्षित होगा। उक्त वर्णित कार्य संतोषजनक ढंग से पूर्ण किये जाने पर परिषद् द्वारा आगामी दो वर्षों की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु उक्त कार्यों के सम्पादन हेतु कार्य, इस निविदा हेतु स्वीकृत दरों के आधार पर चयनित सेवा प्रदाताको दिया जा सकता है, परंतु इस हेतु सेवा प्रदाताको अपनी सहमति प्रदान करते हुये परिषद् के साथ अनुबन्ध करना होगा।
8. निविदादाता मांगी गयी निम्नांकित सभी सूचनाओं को मुद्रित कराकर उपलब्ध कराये:

**A. निविदादाता सेवा प्रदाता का संगठनात्मक विवरण :-**

1. सेवा प्रदाता का नाम एवं पूरा पता, फोन नम्बर, ई0मेल पता, एवं वेबसाइट।
2. सेवा प्रदाता की स्थापना की तिथि एवं वर्ष।
3. सेवा प्रदाता का प्रकार Private or Public Limited Company.
4. सेवा प्रदाता /कम्पनी का स्वामित्व प्रमाण-पत्र तथा पंजीयन प्रमाण-पत्र संलग्न करें।
5. गत तीन वर्षों का कुल टर्न ओवर।
6. सेवा प्रदाता /कम्पनी का मुख्य व्यवसाय एवं अन्य व्यवसाय।

**B. निविदादाता सेवा प्रदाता की जनशक्ति का विवरण :-**

1. सिस्टम एनालिस्ट की संख्या (रेगुलर स्टाफ)।
2. कम्प्यूटर प्रोग्रामर की संख्या (रेगुलर स्टाफ)।
3. डाटा इंट्री आपरेटरों एवं अन्य टेक्निकल स्टाफ की संख्या (रेगुलर स्टाफ)।  
क्र0सं0 1, 2, 3 की पुष्टि हेतु प्रमाणित स्टाफ लिस्ट जिसमें कर्मचारियों का नाम, उनका पदनाम, तकनीकी योग्यता, नियुक्ति की तिथि, का विवरण अंकित हो निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
4. आकस्मिकताओं की स्थिति में क्या संस्था अपने स्वयं के साधनों से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण (डिजिटल फिंगरप्रिण्ट/पामवेन रिकग्निशन एवं चेहरे की पहचान) के माध्यम से



प्रतिरूपण/छद्म अभ्यर्थी पर नियंत्रण एवं उपस्थिति दर्ज कराने सम्बन्धी कार्यों को सम्पादित करने में सक्षम है, हां/नहीं ?

**C. निविदादाता सेवा प्रदाता की बायोमेट्रिक एप्लिकेशन की विशिष्टतायें/Specification :-**

1. Face+ Fingerprint/Palmvein Biometric Authentication- Machine.
2. Aadhaar /Non-Aadhaar biometric authentication ।
3. Face Recognition+ Fingerprint/Palmvein Biometric Authentication- Fingerprint/Palmvein Scanner, Face Recognition दोनों ।
4. Face तथा Fingerprint/Palmvein Biometric से अलग-अलग और संयुक्त (Multi-Modal) Verification.
5. कम से कम 1,00,000 Users की Biometric Enrolment क्षमता ।
6. कम से कम 1,00,000 Attendance/Transaction Records.
7. Fingerprint/Palmvein Biometric sensor 500 DPI या अधिक ।
8. Face Recognition के लिए IR/कैमरा आधारित ताकि फोटो/वीडियो दिखाकर Spoofing न हो ।
9. Verification Time लगभग 5 सेकंड या कम ।
10. Off-line Mode में भी काम करने की सुविधा ।
11. USB/LAN के माध्यम से Data Export/Transfer.
12. CSV/Excel Report निकालने की सुविधा ।
13. Data & Time का सुरक्षित रिकॉर्ड ।
14. Admin password तथा biometric data protection.
15. विद्युत आपूर्ति बन्द पर Data सुरक्षित रहे और UPS/battery backup dk support हो ।
16. Aadhaar authentication /UIDAI से कोई अनिवार्य Dependency न हो ।

**(घ). किये जाने वाले कार्यों का विवरण**

1. उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर (नैनीताल) द्वारा दिनांक 18 नवम्बर 2026 को आयोजित होने वाली प्रारम्भिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (D.El.Ed.) प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा 2026 एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अभ्यर्थियों की पहचान सत्यापित करने तथा परीक्षा केन्द्रों में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण (डिजिटल फिंगरप्रिंट/पामवेन रिकग्निशन एवं चेहरे की पहचान) के माध्यम से प्रतिरूपण/छद्म अभ्यर्थी पर नियंत्रण एवं उपस्थिति दर्ज कराने की सेवा के अन्तर्गत सम्पादित किये जाने वाले प्रमुख कार्य निम्नवत् हैं:-
  - a. चेहरे की पहचान दो छवियों के बीच, बिना स्थायी सत्र-स्थिति के, की जानी होगी-एक ऑनलाइन आवेदन में अपलोड की गयी छवि से परीक्षा तिथि को निर्धारित परीक्षा केन्द्र पर ली गयी छवि से करनी होगी और दूसरी काउन्सिलिंग के दिवसों में, परिषद् द्वारा निर्धारित स्थान पर परीक्षा दिवस को ली गयी छवि से की जाएगी। काउन्सिलिंग एक से अधिक दिवसों में सम्पादित हो सकती है।

- b. डिजिटल फिंगरप्रिंट एवं चेहरे की पहचान अथवा पामवेन रिकग्निशन एवं चेहरे की पहचान में प्राप्त विसंगतियों के अनुसार चेकलिस्ट एवं रिपोर्ट्स तैयार कर परिषद् को उपलब्ध कराना।

उक्त कार्य के सम्पादन हेतु समस्त व्यवस्था सेवा प्रदाता को स्वयं अपने स्तर से करनी होगी एवं समस्त रिपोर्ट्स परिषद् कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी।

### (ड.) वित्तीय शर्तें

1. निविदा प्रस्तुत करने के साथ निविदादाता को अर्नेष्टमनी की धनराशि के रूप में ₹0 60,000.00 (साठ हजार रुपये मात्र) का बैंक ड्राफ्ट सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर नैनीताल के पक्ष में प्रस्तुत करना पड़ेगा, नकद धनराशि स्वीकार नहीं की जायेगी।
2. सेवा प्रदाता को उक्त कार्य हेतु कोई अग्रिम (Advance) नहीं दिया जायेगा। कार्य का प्रथम चरण पूर्ण होने पर सम्पूर्ण देय धनराशि का 60 प्रतिशत भुगतान किया जायेगा एवं समस्त कार्य पूर्ण होने, समस्त डेटा एवं रिपोर्ट्स, हार्ड एवं सॉफ्ट कापी में परिषद् को हस्तगत कर दिये जाने के बाद परिषद् द्वारा आश्वस्त हो जाने पर कि चयनित सेवा प्रदाता द्वारा समस्त डेटा एवं रिपोर्ट्स, हार्ड एवं सॉफ्ट कापी में परिषद् को हस्तगत करा दिया गया है एवं उक्त डेटा का किसी भी प्रकार से किसी भी स्तर पर दुरुपयोग नहीं किया गया है, शेष 40 प्रतिशत धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
3. भुगतान किये गये सभी देयकों पर निर्धारित दर से आयकर एवं आयकर पर सरचार्ज तथा जी0एस0टी0 की कटौती नियमानुसार की जायेगी।
4. सेवा प्रदाता प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थियों की संख्या के अनुसार योग्य और अनुभवी कर्मचारियों को तैनात करेगा। विभिन्न स्थानों पर जाने वाली सेवा प्रदाता की टीम के यात्रा, भोजन/बोर्डिंग, आवास या किसी भी अन्य प्रकार का खर्च उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् द्वारा नहीं दिया जाएगा।
5. संबंधित निविदादाता को कार्य की स्वीकृति पाने के एक सप्ताह के अन्दर कार्य के कुल मूल्य के दस प्रतिशत के बराबर जमानत धनराशि कार्य सम्पादित करने हेतु जमा करेंगे। स्टाम्प शुल्क हेतु वर्तमान में प्रभावी शासनादेश के अनुसार F.D.R. अथवा बैंक गारन्टी, स्वीकृति पत्र निर्गत होने की तिथि से कम से कम 6 माह तक वैध होना आवश्यक है। परिषद् को किसी भी प्रकार से हानि होने की दशा में क्षतिपूर्ति स्वरूप सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित की जाने वाली तथा राज्यपाल को देय किसी भी धनराशि की वसूली उक्त जमानत की धनराशि से की जायेगी तथा उसके प्रति सचिव द्वारा लिखित नोटिस दिये जाने के 15 दिनों के अन्दर सेवा प्रदाता उक्तवत् हुई कमी की पूर्ति करेगा। सेवा प्रदाता को जमानत की धनराशि की वापसी कार्य पूर्णतया सम्पन्न हो जाने के पश्चात् की जायेगी। सफल बोलीदाता को किसी भी परिस्थिति में अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।
6. परीक्षार्थियों की परीक्षा केन्द्र पर वास्तविक उपस्थिति के आधार पर भुगतान किया जाएगा।
7. सफल बोलीदाता को किसी भी अतिरिक्त मद में उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर नैनीताल द्वारा अतिरिक्त लागत का भुगतान नहीं किया जाएगा।



8. यदि बोलीदाता अनुबन्ध पत्र जारी होने के 15 दिनों के भीतर अनुबन्ध निष्पादित करने में विफल रहता है, तो सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद को EMD जब्त करके बोली रद्द करने का अधिकार होगा।
9. उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद बोलीदाता से किसी भी विषय पर स्पष्टीकरण माँग सकता है। इससे बोलीदाता को जमा की गई बोली की मूल विषय-वस्तु या उद्धृत मूल्य में बदलाव करने का अधिकार नहीं मिलेगा।
10. यदि परीक्षा के समय चेहरे की पहचान, बायोमेट्रिक डेटा कैप्चर या प्रमाणीकरण के किसी चरण में किसी अभ्यर्थी को जानबूझकर या अनजाने में छोड़ दिया जाता है, तो विभाग नियमानुसार दंड लगाएगा जो बिल राशि का कम से कम 5% होगा।

### (च). सामान्य निर्देश

1. सेवा प्रदाता को निविदा देने से पूर्व अपनी क्षमता एवं संसाधनों की जाँच कर लेना चाहिए तथा मुख्यतः उस न्यूनतम परीक्षार्थी संख्या का उल्लेख करना चाहिए जिनके **बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण (डिजिटल फिंगरप्रिंट एवं चेहरे की पहचान अथवा पामवेन रिकग्निशन एवं चेहरे की पहचान) के माध्यम से प्रतिरूपण/छद्म अभ्यर्थी पर नियंत्रण एवं उपस्थिति दर्ज कराने के** कार्य को कुशलता पूर्वक सही एवं बिना किसी त्रुटि के निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने की क्षमता रखते हैं।
2. सेवा प्रदाता परीक्षार्थियों के **बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण (डिजिटल फिंगरप्रिंट एवं चेहरे की पहचान अथवा पामवेन रिकग्निशन एवं चेहरे की पहचान) के माध्यम से प्रतिरूपण/छद्म अभ्यर्थी पर नियंत्रण एवं उपस्थिति दर्ज कराने के** कार्य को करने हेतु परीक्षार्थियों की न्यूनतम संख्या तथा कार्य सम्पादन की अपनी योग्यता/क्षमता एवं उपलब्ध साधनों का उल्लेख करते हुए निविदा दे सकते हैं।
3. सौंपे गये सभी कार्यों को उनके लिए निर्धारित समय-सारणी के अनुसार ही पूर्ण करना पड़ेगा।
4. कार्य की प्रकृति को देखते हुए उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् परीक्षा के दौरान 100% त्रुटिरहित कार्य की अपेक्षा करता है।
5. यदि बोली में अपेक्षित पूरी जानकारी नहीं दी गई या आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न नहीं किए गए, तो बोली पर विचार नहीं किया जा सकता।
6. उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् द्वारा EMD या सुरक्षा जमा पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। अनुबन्ध अवधि में दिए जाने वाले कार्य की न्यूनतम मात्रा की कोई गारंटी नहीं है।
7. उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् द्वारा तय परीक्षाओं के लिए अनुबन्ध के अंतर्गत कार्यादेश जारी किए जाएंगे।
8. उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् सबसे कम मूल्य वाली या किसी अन्य बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। उचित कारणों को ध्यान में रखते हुए वह पूरी बोली या उसका कोई भाग स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
9. काल्पनिक और सशर्त निविदाएँ स्वीकार नहीं की जाएँगी और तुरंत अस्वीकृत होंगी।
10. सेवा प्रदाता परीक्षा की गोपनीयता सुनिश्चित करेगा। कार्य के संबंध में तैनात प्रत्येक व्यक्ति परीक्षा की गोपनीयता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगा।
11. उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् कार्यहित में इस दस्तावेज़ में उल्लिखित अनुबन्ध की किसी भी शर्त को अपने विवेक से संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।



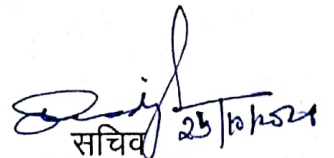
12. केवल तकनीकी बोली में सफल होने वाली फर्मों की वित्तीय बोलियों पर विचार किया जाएगा।
13. उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद L1, L2 और L3 फर्मों का पैनल बनाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
14. अनुदानित कार्य दोषपूर्ण ढंग से किये जाने की स्थिति में सचिव, उ०वि०शि०प० के परिज्ञान में आने पर संबंधित सेवा प्रदाता को सचिव द्वारा निर्देशित किये जाने पर अपने व्यय पर समुचित कार्य पुनः सम्पादित करना होगा।
15. अनुबंध उत्तराखण्ड राज्य में किया गया माना जाएगा। इसकी वैधता, निर्माण, व्याख्या और कानूनी मामलों एवं किसी भी वाद हेतु न्यायालयी क्षेत्राधिकार रामनगर (नैनीताल) होगा।
16. निविदा के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर प्रकरण निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति या पंच (Arbitrator) को सन्दर्भित कर दिया जायेगा और ऐसे प्रकरण में Arbitration and Conciliation Act 1996 में निहित प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
17. चयनित सेवा प्रदाता को रुपये 100.00 के स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध-पत्र हस्ताक्षरित करना होगा। इस निविदा की सभी शर्तें तथा कार्यदेश दिये जाने के समय उचित समझी गयी अन्य शर्तें भी निविदा की शर्तें होंगी।
18. परिषद द्वारा चयनित सेवा प्रदाताओं में से परिषद् की आवश्यकतानुसार ही सेवा प्रदाताओं को कार्य आवंटित किया जायेगा।
19. निविदादाता को ये समस्त सूचनाएं **05 नवम्बर, 2026 को अपराह्न 12:15 बजे तक [www.uktenders.gov.in](http://www.uktenders.gov.in) पर अपलोड कर देनी होगी।** इस निर्धारित तिथि तथा समय के पश्चात् निविदा/निविदायें स्वीकार नहीं की जायेंगी।
20. परिषद् के सचिव बिना कारण बताये किसी भी निविदा को निरस्त/सुधारने या स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।
21. निविदा में उल्लिखित समस्त नियमों एवं निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लें तथा निविदा में मांगी जाने वाली उपर्युक्त समस्त सूचनाएं क्रमवार पूरी स्पष्टता के साथ सही-सही दी जायें। सूचनाएं अपूर्ण होने/अस्पष्ट होने/गलत होने/अथवा तथ्यों को छिपाये जाने की स्थिति में निविदा बिना कारण बताये निरस्त कर दिया जायेगा।
22. निविदादाता द्वारा दी गयी किसी भी कार्य की न्यूनतम दरें किसी रूप से कार्य आवंटन की गारन्टी नहीं देती है। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण (डिजिटल फिंगरप्रिंट एवं चेहरे की पहचान अथवा पामवेन रिकग्निशन एवं चेहरे की पहचान) के माध्यम से प्रतिकृपण/छद्म अभ्यर्थी पर नियंत्रण एवं उपस्थिति दर्ज कराने सम्बन्धी कार्य को करने की योग्यता, क्षमता, अनुभव एवं सेवा प्रदाता में उपलब्ध श्रमशक्ति, संयन्त्र, कार्यक्षेत्र की जगह एवं स्थिति का आकलन करने के उपरान्त योग्य पाये जाने वाले सेवा प्रदाताओं को ही परिषद द्वारा कार्य आवंटन करने पर विचार किया जायेगा।
23. निविदा खुलने के उपरान्त कोई भी प्रत्यावेदन अथवा प्रपत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
24. वित्तीय सूचनाओं के अतिरिक्त टेण्डर से सम्बन्धित निम्नांकित **18 तकनीकी सूचनाओं (संलग्नक : एक के अनुसार)** से सम्बन्धित प्रपत्रों को क्रमबद्ध रूप से उन पर क्रमांक संख्या तथा सेवा प्रदाता की मोहर अंकित करके एवं उन पर निविदादाता के हस्ताक्षर करके उनकी **PDF File** बनाकर

टेण्डर फार्म के साथ निर्धारित तिथि एवं समय 05 नवम्बर, 2026 को अपराह्न 12:15 बजे तक [www.uktenders.gov.in](http://www.uktenders.gov.in) पर अपलोड कर देना होगा।



## संलग्नक : एक

1. Scan Copy of Tender Fee Demand Draft of Rs1770/- and EMD of Rs. 60,000/-
2. Copy of Electricity Bill or Rent Agreement as Address Proof of the Firm.
3. List of all Hardwares & Software (for Face+Fingerprint/Palmvein Biometric Authentication- Fingerprint/Palmvein Scanner, Face Recognition Camera, Computer/Laptop, Biometric Capture Software, Biometric Authentication Software, Candidate Database Integration Software, Attendance and Reporting Module, Security and Audit Module etc.) and their Specifications (Maximum in One or Two Pages).
4. CMMI Level 5 Certificate.
5. PAN Number.
6. GST Number.
7. Certified Copy of Registration in E.S.I.C.(Employee State Insurance Corporation)/ P.F.(Provident Fund)
8. Certified copy of Registration Certificate or Certificate of Incorporation of the firm.
9. Company Profile including constituents of Board of Directors. In case of partnership submit the partnership deed.
10. Certified copy of Income Tax Return Certificate of last three year (2023-24, 2024-25, 2025-26 or 2022-23, 2023-24, 2024-25).
11. Turn-Over certificate of the Firm for the year (2023-24, 2024-25, 2025-26 or 2022-23, 2023-24, 2024-25) certified by CA.
12. Audit Balance Sheet of the firm of last three year (2023-24, 2024-25, 2025-26 or 2022-23, 2023-24, 2024-25) certified by CA.
13. Work Orders regarding 3-year (2024, 2025, 2026) Biometric Authentication work of average 01 lakh candidates. Issued by the concerning examination body.
14. Acceptance Certificate of all the Terms and conditions of the tender mentioned in the Tender Form above.
15. Declaration Regarding Clean Track Record
16. Board Resolution for Authorized Signatory to sign the above Tender document.
17. Lists of regular technical staff with their name, designation, technical qualifications and date of appointment and EPF details.
18. M.S.M.E. /I.S.O. Registration certificate (If any).

  
सचिव 25/10/24  
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्  
रामनगर (नैनीताल)

## तकनीकी सूचना (Technical Bid)

प्रारम्भिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (D.El.Ed.) प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा 2026 एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण (डिजिटल फिंगरप्रिंट एवं चेहरे की पहचान अथवा पामवेन रिकग्निशन एवं चेहरे की पहचान) के माध्यम से प्रतिरूपण/छद्म अभ्यर्थी पर नियंत्रण एवं उपस्थिति दर्ज कराने की सेवा

निविदादाता का  
फोटो स्वयं द्वारा  
प्रमाणित

1. निविदादाता का नाम .....  
सेवा प्रदाता का पता .....  
फोन नं० कार्यालय .....मो०न०.....  
ई-मेल आईडी० .....
2. सेवा प्रदाता के कार्यस्थल का पता .....
3. सेवा प्रदाता की स्थापना/रजिस्ट्रेशन का माह तथा वर्ष .....
4. संगठन का मुख्य व्यवसाय .....
5. सेवा प्रदाता का स्वरूप (एकल, संयुक्त, प्राइवेट, पब्लिक लिमिटेड/संस्था) साथ में स्वामित्व का प्रमाण पत्र एवं पंजीकरण प्रमाण पत्र भी संलग्न करें।
6. निविदादाता के रजिस्टर्ड होने के प्रमाण स्वरूप सेवा प्रदाता की निविदा के साथ निविदादाता को M.S.M.E./ N.S.I.C. / S.S.I./D.I.C. में पंजीकरण की स्थिति (प्रमाण पत्र संलग्न करें) - .....
7. निविदादाता के E.S.I.C.(Employee State Insurance Corporation)/P.F.(Provident Fund) में पंजीकरण की स्थिति (प्रमाण पत्र संलग्न करें।) - .....
8. बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण (डिजिटल फिंगरप्रिंट एवं चेहरे की पहचान अथवा पामवेन रिकग्निशन एवं चेहरे की पहचान) के माध्यम से प्रतिरूपण/छद्म अभ्यर्थी पर नियंत्रण एवं उपस्थिति दर्ज कराने के कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र।
9. विगत 03 वर्षों का औसतन टर्न ओवर (पृथक-पृथक औसतन 2 करोड़) तक।  
(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र संलग्न करें।)
10. आयकर विगत 03 वर्षों का भुगतान सम्बन्धी प्रमाण पत्र (आयकर रिटर्न संलग्न किया जाय) .....
11. स्थाई आयकर खाता संख्या (PAN) .....(छाया प्रति संलग्न करें)
12. जी०एस०टी० पंजीकरण संख्या ..... (प्रमाण पत्र संलग्न किया जायेगा।)
13. घोरोहर राशि/अर्नेष्टमनी (EMD) का विवरण (भारतीय स्टेट बैंक रामनगर, शाखा कोड 00701 जनपद नैनीताल में देय हो)
  - बैंक ड्राफ्ट/एफ०डी०आर० संख्या ..... दिनांक .....
  - धनराशि अंको में ..... शब्दों में .....
  - बैंक का नाम व शाखा .....
15. निविदा प्रपत्र का मूल्य विवरण (भारतीय स्टेट बैंक रामनगर, शाखा कोड 00701 जनपद नैनीताल में देय हो)
  - डी०डी० नम्बर व दिनांक .....
  - धनराशि अंको में ..... शब्दों में .....

● बैंक का नाम व शाखा .....

16. तकनीकी बिड में संलग्नकों की संख्या .....

17. अन्य कोई विवरण .....

मैं ..... मैसर्स .....

का मालिक/..... प्रतिशत साझेदार/हिस्सेदार हूँ। इस निविदा की समस्त कार्यवाही को पूर्ण करने एवं समस्त औपचारिकता के प्रति मेरा पूर्ण उत्तरदायित्व है। उपरोक्त समस्त सूचना पूर्णतया सत्य है। इससे सम्बन्धित कोई सूचनाएँ छिपाई नहीं गई हैं। यदि कोई सूचना असत्य अथवा अपूर्ण पायी जाती है तो उसके लिए मैं स्वयं/हमारी कम्पनी उत्तरदायी रहेगी।

दिनांक :.....

मालिक/प्रबन्धक के हस्ताक्षर

नाम :.....

सेवा प्रदाता की मुहर—

  
15

ALL File 2026-27/ E TENDER 2026/data processing hs-inter 2026-27



## वित्तीय सूचना सूचना (Financial Bid)

प्रारम्भिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (D.El.Ed.) प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा 2026 में अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण (डिजिटल फिंगरप्रिंट एवं चेहरे की पहचान अथवा पामवेन रिकग्निशन एवं चेहरे की पहचान) के माध्यम से प्रतिरूपण/छद्म अभ्यर्थी पर नियंत्रण एवं उपस्थिति दर्ज कराने की सेवा

1. निविदादाता का नाम : .....
2. सेवा प्रदाता का पता : .....
3. फोन नं० कार्यालय : ..... मो०न० : .....
4. ई-मेल आईडी : .....

5. कार्य का विवरण : उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर (नैनीताल) द्वारा दिनांक 18 नवम्बर 2026 को आयोजित होने वाली प्रारम्भिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (D.El.Ed.) प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा 2026 एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अभ्यर्थियों की पहचान सत्यापित करने तथा राज्य के 29 शहरों में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण (डिजिटल फिंगरप्रिंट एवं चेहरे की पहचान अथवा पामवेन रिकग्निशन एवं चेहरे की पहचान) के माध्यम से प्रतिरूपण/छद्म अभ्यर्थी पर नियंत्रण एवं उपस्थिति दर्ज कराने की सेवा प्रदान कराये जाने हेतु प्रति परीक्षार्थी दर:-

| कार्य का विवरण                                                                                                                                                                                                                    | Rate Per Candidate in Rs. |            |             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                   | GST<br>रहित               |            | GST<br>सहित |            |
|                                                                                                                                                                                                                                   | अंकों में                 | शब्दों में | अंकों में   | शब्दों में |
| 1. बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण (डिजिटल फिंगरप्रिंट एवं चेहरे की पहचान) के माध्यम से प्रतिरूपण/छद्म अभ्यर्थी पर नियंत्रण एवं उपस्थिति दर्ज कर आवश्यक रिपोर्ट्स परिषद् को उपलब्ध कराना<br>(कार्य हेतु दरें प्रति परीक्षार्थी अंकित करें) |                           |            |             |            |
| 2. बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण (पामवेन रिकग्निशन एवं चेहरे की पहचान) के माध्यम से प्रतिरूपण/छद्म अभ्यर्थी पर नियंत्रण एवं उपस्थिति दर्ज कर आवश्यक रिपोर्ट्स परिषद् को उपलब्ध कराना<br>(कार्य हेतु दरें प्रति परीक्षार्थी अंकित करें)   |                           |            |             |            |

दिनांक : .....

मालिक/प्रबन्धक के हस्ताक्षर

नाम : .....

सेवा प्रदाता की मुहर-

